केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा,
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिलली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 20.03.2017

सीबीआई ने तथाकथित 10 लाख रू. की घूसखोरी के मामले में ई.पी.आई.एल. के सी.एम.डी. ; दो ई.डी. एवं तीन अन्यों को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 10 लाख रू. की कथित घूसखोरी के मामले में सी.एम.डी., ई.पी.आई.एल. दिल्ली ; कार्यकारी निदेशक, ठेका अनुभाग, ई.पी.आई.एल., दिल्ली ; कार्यकारी निदेशक, ई.पी.आई.एल., मुम्बई परिक्षेत्र एवं तीन अन्यों को आज गिरफ्तार किया।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 12 व 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत सी.एम.डी., ई.पी.आई.एल., लोधी रोड, नई दिल्ली ; कार्यकारी निदेशक, ठेका अनुभाग, ई.पी.आई.एल., दिल्ली ; कार्यकारी निदेशक, ई.पी.आई.एल., मुम्बई परिक्षेत्र ; रायपुर की प्राइवेट फर्म के प्रतिनिधि एवं एक साझीदार के माध्यम से रायपुर स्थित उक्त प्राइवेट फर्म और अन्य अज्ञात लोक सेवकों तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि उक्त लोक सेवकों ने उक्त प्राइवेट फर्म (रायपुर की निर्माणकर्ता फर्म) से पल्लूर हिल्स, कैनिसी, बरहामपुर, जिला गंजाम (ओडिशा) में मेगा अर्बन एजूकेशनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु ठेका आवंटन में कम्पनी का पक्ष लेने के लिए अवैध रिश्वत की मॉग की।

ऐसा आगे आरोप था कि सी.एम.डी. ने अन्यों के साथ षड़यंत्र में, चॉदनी चौक, दिल्ली के एक हवाला संचालक से रिश्वत की कुल राशि के आशिंक भुगतान के तौर पर 10 लाख रू. एकत्र करने हेतु अपने कर्मचारी को लगाया। सीबीआई ने कर्मचारी को उक्त घूस को कथित रूप से स्वीकार करने के दौरान पकड़ा ।

दिल्ली, मुम्बई एवं रायपुर के 8 स्थानों पर आज तलाशी की गई।

आगे की जॉच जारी है।

****